N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0075 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/03/2025 21:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 25/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 21:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/03/2025 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/03/2025 21:42:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA AKOLA, JILA CHITTORGARH

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PRAKASH LAL GADRI

(b) Father's Name (पिता का नाम): GANGARAM JI GADRI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JOYADA, AKOLA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JOYADA, AKOLA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BABULAL MEENA		पिता:NARAYAN LAL MEENA	1. 05,BSNL COLONY,NIMBAHERA,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी ने ब्यूरो इकाई उदयपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कि की "मै प्रकाश गाडरी पुत्र श्री गंगाराम जी गाडरी उम्र 30 साल निवासी जोयडा पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेर पिताजी और मेरा बडा भाई मांगीलाल है। मेरे पिताजी वृद्व है। मेरा बडा भाई मांगीलाल विवाहित है और मुम्बई में काम करता है और वही रहता है। मैं अविवाहित हूं और अपने गांव मे ही खेती बाडी का काम करता हूं। वर्ष 2021 म मेरे मित्र शंकरलाल गाडरी की कोर्ट मेरिज वल्लभनगर में हुई थी जहा श्री गोटीलाल गाडरी निवासी चाईला खेडा थाना वल्लभगनर जिला उदयपुर जो दुबई में काम करता था, भी आया था। उस दिन गोटीलाल गाडरी मुझे, शंकरलाल गाडरी और उसकी पत्नी को अपने घर ले गया था जहा गोटीलाल गाडरी की पत्नी सविता गाडरी निवासी भोपा खेडा पुलिस थाना खैरोदा जिला उदयपुर से भी हमारा मिलना हुआ था। इसके कुछ दिन बाद से सविता गाडरी का मेरे पास फोन आने लगा और हमारा आपस मे मिलना जुलना होने लगा और हमारे प्रेम सम्बन्ध बन गये। कुछ समय बाद से सविता गाडरी ने मुझ पर विवाह का दबाव बनाना शुरू कर दिया । परन्तु उसके पूर्व से विवाहित होने के कारण मैंने उसे मना कर दिया। इस पर सविता गाडरी ने अपने पति गोटीलाल गाडरी से मिलकर मेरे विरूद्व थाना वल्लभनगर मेंरे प्रकरण संख्या 99/2023 धारा 376 में दर्ज करवा दिया। मैंने इस पर सविता गाडरी से बात कर उसे पत्नी बनाकर रखने के लिये हामी भर दी। इसके बाद मै ने थाना वल्लभनगर में सविता गाडरी की ओर से दर्ज करवाये गये मुकदमे को खारिज करने के लिये एक वकील से सलाह की और माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी क्रिमि. मिस पिटी. संख्या 4452/2023 दायर की जिसमें मेरे और सविता गाडरी द्वारा पेश किये गये राजीनामे के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने थाना वल्लभनगर में मेरे विरूद्व दर्ज एफआईआर को क्वैश कर दिया। इसके बाद मैं और सविता गाडरी साथ-साथ रहने लगे। परन्तु सविता गाडरी के पति गोटीलाल गाडरी ने मुझे अपने दोस्तो के साथ घर आकर लगातार धमकिया देना शुरू कर दिया। दिनांक 18.12.2023 को हमारे समाज के पंचो ने मेरा और गोटीलाल गाडरी का समझौता करवा दिया जिसमे स्टाम्प गोटीलाल गाडरी ने मुझसे सात लाख ग्यारह हजार रूपये की लिखापढी कर 6,51,000/- रूपये ले लिये। यह रूपये मैने अपने परिचित लोगो से ब्याज पर उधार लेकर और खेत को गिरवी रख कर चुकाये थे। मेरा सविता गाडरी से एक 07 महीने का पुत्र भी है। परन्तु इस सब कार्यवाही के बाद भी दिनांक 22.02.2025 को सविता गाडरी अपने पुत्र को मेरे घर पर छोडकर मेरी मां के सोने-चांदी के जेवरात और घर पर रखे रूपये साथ लेकर गोटीलाल गाडरी के पास चली गई। इस बात की रिपोर्ट देने पर पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ ने सविता गाडरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जिसकी जांच श्री बाबूलाल एएसआई द्वारा की गई। श्री बाबूलाल एएसआई ने कार्यवाही के नाम पर मुझसे दिनांक 24.02.2025 को 50,000/- रूपये ले लिये और सविता गाडरी के बयान लेकर मुझे फोन कर बता दिया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नही होगी। श्री बाबूलाल एएसआई ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर सविता गाडरी के बयान की वीडियोग्राफी की क्लिप भी भेजी थी। मैने जब श्री बाबूलाल एएसआई से अपने 50,000/- रूपये वापस मांगे तो श्री बाबूलाल एएसआई ने लौटाने से इन्कार कर दिया। इस पर मैने कोर्ट के माध्यम से सविता गाडरी और गोटीलाल गाडरी के विरूद् पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ पर प्रकरण संख्या 27/2025 धारा 93, 316(2), 318(4) एवं 61(2) बीएनएस में दिनांक 17.03.2025 को दर्ज करवाया। इस प्रकरण का अनुसंधान भी श्री बाबूलाल एएसआई पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ द्वारा किया जा रहा है। श्री बाबूलाल एएसआई ने दिनांक 22.02.2025 को पुलिस थाना आकोला में मुचलके पर मेरे हस्ताक्षर लेते समय प्रकरण में कार्यवाही करने के नाम पर मुझ से पुनः 50,000/- रूपये की मांग की है। उन्होने मुझसे कार्यवाही से पहले 20,000/- रूपये और कार्यवाही के बाद 30,000/- रूपये देने के लिये कहा है। साथ ही गोटीलाल गाडरी को धमका कर मुझे पहले हुये समझौते में मेरे द्वारा गोटीलाल गाडरी को दिये गये रूपये भी वापस दिलवाने का वादा किया है। मैं गरीब आदमी हूं। मैने बडी मुश्किल से उधार लेकर समझौते के एवज में और गुमशुदगी में कार्यवाही की एवज में रूपये दिये है। मैं अब मेरी जायज कार्यवाही के लिये और रूपये नही देना चाहता हूं और श्री बाबूलाल एएसआई पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री बाबूलाल एएसआई पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेन-देन बकाया है। अतः मेरी रिपोर्ट पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें।" उक्त लिखित

रिपोर्ट पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्य वाही हेतु निर्देशित किये जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टी करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि दिनांक 22.03.2025 को मैं पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौगढ पर गया था, जहां पर श्री बाबूलाल जी एएसआई साहब से मिला तो उन्होने मुझे बताया कि कोर्ट से तेरा इस्तगासा आया है जिस पर थाने पर प्रकरण संख्या 27/2025 धारा 93, 316(2), 318(4) एवं 61(2) बीएनएस दर्ज कर लिया है, मैं ही तेरे इस मुकदमे की तफतीश कर रहा हूं। तू मुझे 50,000/- रूपये दे दे मैं तेरे मुकदमें में गोटूलाल गाडरी को गिरफ्तार कर लूंगा और तेरे पहले दिये हुए 7 लाख 11 हजार रूपये भी वापस दिलवा दूंगा और तेरी पत्नी सविता तेरे घर से जो जेवरात लेकर गई थी वह भी वापस दिलवा दूंगा अभी तू मुझे 20,000/- रूपये दे दे तथा 30,000/- रूपये काम होने के बाद दे देना। मैंने उनसे कहा कि अभी तो मेरे पास रूपये नहीं है पहले भी मैंने मेरी जमीन गिरवे रख कर रूपयों की व्यवस्था की है दो-तीन दिन में रूपयें की व्यवस्था कर दूंगा। मैंने पहले भी श्री बाबूलाल जी एएसआई साहब को रूपये दिये है और मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की और अब और रूपये की मांग कर रहा है। मैं उनको अब रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता हूं। परिवादी से मजीद पूछताछ से मामला टैªप कार्यवाही का पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को संदिग्ध श्री बाबूलाल एएसआई पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ से जरिये फोन बात करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि श्री बाबूलाल जी एएसआई साहब बहुत चालक व होंशियार है वो मुझसे फोन पर किसी प्रकार की बात नहीं करेगें और फोन पर बात की तो वो सतर्क हो जायेगें और मुझसे बात नहीं करगें उनको शंका हो जायेगी। मुझे उन्होने आज शाम को बुलाया है और वो खाना भी मेरे साथ ही खायेगें और दारू भी मेरे पैसों से ही पीयेगें। वगैरा बात परिवादी ने जुबानी दर्ज करवाई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में परिवादी को एसीबी की कार्य प्रणाली से अवगत करवाया गया एवं अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही के क्रम में श्री मांगीलाल कानि. 215 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी एवं श्री मांगीलाल कानि. 215 का आपस में परिचय करवाया जाकर एक दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में दिये गये एवं मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी में रखे ब्यूरो के वॉईस रिकार्डर को श्री मांगीलाल कानि. 215 से मंगवाया गया तथा श्री गुलाब सिंह हैडकानि. 121 से एक नया रिक्त मैमोरी कार्ड सेन डिस्क कम्पनी का 16 जीबी मंगवाया जाकर मैमोरी कार्ड को ब्यूरो के वॉईस रिकार्डर में श्री मांगीलाल कानि. 215 से डलवाया गया तथा ब्यूरो के वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि भली भाति प्रकार से परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को समझाई गई। चूंकि संदिग्ध द्वारा परिवादी को शाम के समय पर बुलाया है तथा पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ करीबन 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है तथा वक्त रात्रि होने की सम्भावना के मध्य नजर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश कुमार कानि. 424 को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया एवं परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी से आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी की शिकायत पर रिश्वत राशिं मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी एवं श्री मांगीलाल कानि 215 के साथ श्री सुरेश कुमार कानि 424 को भी परिवादी के साथ जाने हेतु पाबन्द किया गया। समय 6.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी की लिखित शिकायत पर अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड श्री मांगीलाल कानि 215 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी मय श्री सुरेश कुमार कानि. 424 के साथ पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ की तरफ हिदायतन रवाना किया गया। तत्पष्चात समय 10.05 पीएम पर श्री मांगीलाल कानि मय ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय श्री सुरेश कुमार कानि. के ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए एवं श्री मांगीलाल कानि. 215 द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि मैं व श्री सुरेश कुमार कानि एवं परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी परिवादी की कार से ब्यूरो इकाई उदयपुर से रवाना होकर समय करीबन 7.15 पीएम पर पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ से करीबन 10 किलामीटर दूरी पर रूके जहां पर मेरे द्वारा संदिग्ध श्री बाबूलाल एएसआई पुलिस थाना आकोला की लोकेशन जानने हेतु परिवादी की कार में ही बैठे हुए परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध श्री बाबूलाल एएसआई पुलिस थाना आकोला के मोबाईल पर स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया गया एवं ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर परिवादी एवं संदिग्ध सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई वार्ता को वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। वार्तानुसार संदिग्ध सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी को पुलिस थाना आकोला के बाहर ही बुलाया गया जिस पर मैं, मय श्री सुरेश कुमार कानि. एवं परिवादी रवाना होकर पुलिस थाना आकोला से करीबन 01 किलोमीटर दूरी पर ही रूकवाया जाकर मेरे द्वारा ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर को पुनः चालू कर परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को सुपुर्द कर संदिग्ध सहायक उप निरीक्षक से होने वाली रिश्वती रशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने की हिदायत देकर एवं डिजीटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की पुनः विधि समझाई जाकर समय करीबन 7.46 पीएम पर सुपुर्द किया। परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर को अपने पहने हुए कपडो में छुपाया और वहां से रवाना हो गया जिस पर मैं व श्री सुरेश कुमार कानि. भी परिवादी की कार के पीछे-पीछे रवाना हुए। जिस पर पुलिस थाने के बाहर ही परिवादी की कार खडी नजर आई उसमें एक व्यक्ति अन्दर बैठा हुआ नजर आया मैं व श्री

सुरेश कुमार कानि. दोनो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के फारिक होने के इन्तजार में परिवादी की कार से कुछ दूरी पर खडे रहे। फिर समय करीबन 8.16 पीएम पर परिवादी की कार से वह व्यक्ति नीचे उतरा जिस पर हम दोनो उसी स्थान पर जहां पर परिवादी को रवाना किया गया वहां पेदल-पेदल पहुंचे जहां पर परिवादी अपनी कार के उपस्थित मिला जिस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी से ब्यूरो का वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर उसे बन्द किया एवं परिवादी की कार में हम दोनो बैठ कर करीबन 5-10 किलोमीटर आगे जाकर परिवादी से पूछा गया कि पुलिस थाने के बाहर कौन व्यक्ति आपकी कार मैं बैठा तो परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी ने हम दोनो को अवगत करवाया गया कि जो व्यक्ति कार में बैठा था वो बाबूलाल जी एएसआई साहब ही थे जिन्होने मुझसे कार के अन्दर वार्ता की और उन्होने बात के दौरान ही गोटीलाल गाडरी से फोन पर बात की और मुझसे 2000/- रूपये ले लिये तथा मेरे पास पैसे नहीं होने और मैंने श्री बाबूलाल जी को अब और कितने रूपये देने है कहने पर उन्होने मुझे कहा कि 15,000/- रूपये और कर देने हेतु कहा तो मैंने मेरे परिचित को उसी समय फोन करके 15,000/- रूपये उधार देने हेतु कहा ये सभी बातें रिकार्डर में रिकार्ड है जिस पर मन् कानि. द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चला कर सुना गया तो परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी के द्वारा कही बातों की पुष्टी हुई। फिर मेरे व सुरेश कुमार कानि. द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को कल 11.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय मय संदिग्ध सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/- रूपये साथ लेकर आने की हिदायत के परिवादी को वहीं से रूखसत दी जाकर मैं व श्री सुरेश कानि. दोनो वहां से रवाना हो ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पास में खडे श्री सुरेश कानि. 424 से पूछा गया तो श्री सुरेश कानि. 424 द्वारा मांगीलाल कानि. द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टी की। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मांगीलाल कानि. 215 द्वारा प्रस्तुत ब्यूरो के वॉईस रिकार्ड को चला कर सुना गया तो श्री मांगीलाल कानि. द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टी हुई एवं संदिग्ध श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ द्वारा दौराने मांग सत्यापन वार्ता 2000/- रूपये ग्रहण करना तथा अब परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी के द्वारा दर्ज करवाया गये प्रकरण संख्या 27/2025 पर कार्यवाही करने की एवज में 15,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। मामले हाजा में अग्रिम कार्यवाही की जानी है कि किन्तु वक्त रात्रि का होने से ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्ड को उसी अवस्था में कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं श्री मांगीलाल एवं श्री सुरेश कानिगण को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। तत्पष्चात दिनांक 25.03.2025 समय 12.20 पीएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया एवं परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा अपने पास होना अवगत करवाया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जानी है जिसमें दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के नाम तहरीर क्रमांक 642 दिनांक 25.03.2025 जारी कर श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु मय तहरीर के रवाना किया गया। जिस श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री मयंक सनाढ्य पुत्र श्री कृष्णकान्त जी सनाढ्य उम्र 36 वर्ष निवासी न्यू अशोक नगर मकान नं. 40 रोड नं. 7, पुलिस थाना भुपालपुरा जिला उदयपुर हाल सहायक प्रोग्रामर कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्री विशाल माथुर पुत्र स्व. श्री भुवनेन्द्र भारती उम्र 46 साल निवासी 54/423, न्यू विद्यानगर श्रीजी विहार हिरणमगरी सेक्टर नं. 04 उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के उपस्थित आया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त दोनो गवाह को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी का उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह का आपस में परिचय करा परिवादी को अवगत करवाया गया कि यह दोनो सरकारी गवाह है जो अपने द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहेंगें। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा रिपोर्ट स्वयं हस्तलिखित होकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गया। तत्पष्चात समय 12.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मांगीलाल कानि. 215 को कार्यालय में तलब किया जाकर कार्यालय आलमारी में कल दिनांक 24.03.2025 को सुरक्षित रखवाया गया ब्यूरो का डिजीटल वॉइस रिकार्ड उसी अवस्था में मंगवाया जाकर ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 24.03.2025 समय 7.23 पीएम एवं 7.46 पीएम पर को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चला कर सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी रिश्वती राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी श्री प्रकाशलाल एवं स्वतंत्र गवाहान श्री मयंक सनाढ्य, सहायक प्रोग्रामर एवं श्री विशाल माथुर, वरिष्ठ सहायक के समक्ष श्री मांगीलाल कानि. 215 से ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर कार्यालय लेपटॉप से कनेक्ट करवाया जाकर वार्ताओं की पृथक-पृथक फर्द ट्रान्सक्रिप्टें शब्द ब शब्द तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र

गवाहान श्री मयंक सनाढ्य, सहायक प्रोग्रामर एवं श्री विशाल माथुर, वरिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को संदिग्ध श्री बाबुलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना आंकोला जिला चित्तौडगढ को रिश्वती में दी जाने वाली रिश्वती राशि 15,000/- रूपये प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये गये। परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा पेश किये गये समस्त नोटों पर श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक को देने के लिए परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री गजाराम स.प्र.अ. से ही परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी की पहनी हुई पेन्ट के सामने की बायीं तरफ की जेब में कुछ नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् प्रियंका म.कानि. से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री गजाराम सहायक प्रसासनिक अधिकारी की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेंगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गजाराम सहायक प्रषासनिक अधिकारी से ही कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, गजाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई समय 04.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को यह हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपनी कार के चारों एन्डीकेटर चालू कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री गुलाबसिंह हैडकानि. 121 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं समय 06.50 पीएम पर संदिग्ध श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाषलाल गाडरी को आज शाम को रिश्वत राशि 15,000/- रूपये लेकर बुलाया है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को उसके द्वारा लाई गई कार टाटा टियागो नंम्बर आर.जे. 14 वाय.सी. 9699 से श्री सुरेश कुमार कानि. 424 को मय ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर के एवं श्री मांगीलाल कानि. 215 के साथ तथा सरकारी वाहन संख्या आर. जे. 14 यूसी 8796 मय चालक व श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री पुष्करलाल हैडकानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर, श्री गुलाबसिंह हैडकानि मय ट्रेप बॉक्स एवं प्रियन्का महिला कानि. को आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री अशोक कुमार कानि. 07 के टेक्सी वाहन ईनोवा संख्या आर.जे. 27 टीडी 2277 से रवाना पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना हुए। तत्पष्चात समय 10.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अलग-अलग वाहनो से रवाना होकर समय करीबन 8.15 पीएम पर कस्बा आकोला से कुछ पहले पहुंचे। जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध श्री बाबुलाल सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल पर [redacted] पर संदिग्ध की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करा ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकार्डर को ऑन कर वार्ता करवाई गई जिसे डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त वार्तानुसार संदिग्ध द्वारा परिवादी को थाने पर ही बुलाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को एक मोटरसाईकिल उपलब्ध करवाये जाने हेतु कहने पर परिवादी द्वारा अपने स्तर से एक मोटरसाईकिल उपलब्ध करवाई गई जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री अशोक कुमार कानि. 07 एवं श्री मांगीलाल कानि. 215 को

मोटरसाईकिल से तथा परिवादी श्री प्रकाषलाल गाडरी को उसकी कार से मय ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर समय करीबन 8.34 पीएम पर आगे-आगे रवाना किया तथा पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक हमराहियान के अलग-अलग वाहनों से पुलिस थाना आकोला से कुछ दूरी पर वाहनों को एक साईड खडा किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान पुलिस थाना आंकोला से भोपालसागर रोड पर तथा श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि, श्री गुलाबसिंह हैडकानि, श्री पुष्करलाल हैडकानि. एवं प्रियंका महिला कानि. जोएडा गांव की ओर जाने वाली रोड पर अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के रिश्वती राशि के निर्धारित इशारा के इन्तजार में खडे रहे थे कि कुछ समय बाद एक पुलिस कर्मी सहायक उप निरीक्षक की वर्दी पहनकर परिवादी की कार में आकर बैठ गया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता द्वारा देखा। फिर परिवादी उसकी कार को लेकर पुलिस थाना आकोला से भोपालसागर रोड की और रवाना हुआ जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री अशोक कुमार एवं श्री मांगीलाल कानिगण को मोटरसाईकिल से परिवादी के पीछे रवाना किया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेश कुमार के टेक्सी वाहन आर.जे. 27 टीडी 2277 के पीछे-पीछे रवाना हुए करीबन 800-1000 मीटर दूर जाने पर समय करीबन 9.05 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा अपनी कार के चारों एंडीकेटर चालू करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया गया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते द्वारा देखकर परिवादी की कार को रूकवाया तथा परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को ब्यूरो का डिजीटल वॉईस रिकार्डर दिया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा संदिग्ध सहायक उप निरीक्षक बाबूलाल को उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उसी अवस्था में कार में बैठने की हिदायत दी गई। चूंकि घटनास्थल मेन रोड का होकर वाहनो का आवागमन है जिस हेतु यहां पर अग्रिम कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह परिवादी की कार में बैठ कर मौके से रवाना होकर पुलिस थाना आकोला पहुंचे एवं शेष ब्यूरो जाब्ते को भी पुलिस थाना आकोला में आने की हिदायत दी गई। पुलिस थाना आकोला में प्रवेश करने पर थानाधिकारी श्री रमेश मीणा उपस्थित मिले जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक को अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन करने पर थानाधिकारी श्री रमेश मीणा द्वारा थाना परिसर में बने स्वागत कक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सहायक उप निरीक्षक का परिचय पूछा गया तो सहायक उप निरीक्षक द्वारा अवगत करवाया गया कि मेरा नाम श्री बाबूलाल मीणा पिता श्री नारायणलाल मीणा उम्र 46 साल निवासी गांव डांगरवाडा खुर्द पुलिस थाना जयसिंगपुरा जिला जयपुर हाल निवासी मकान नं. 05 बीएसएनएल कॉलोनी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ होना बताया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक को परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी से रिश्वत राशि 15,000/- रूपये जो आपने लिये हैं वो रिश्वत राशि कहां पर है के बारे में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूछा गया तो श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि पैसे मैंने लिये थे जिनको मैंने इसकी गाडी में ही रख दिये है। पैसे मेरे पास नहीं है। इस पर पास ही खडे परिवादी श्री प्रकाशलाल द्वारा स्वतः ही बताया कि साहब ये बाबूलाल जी झूठ बोल रहें है इन्होने मुझसे 15,000/- रूपये लिये वो इनके द्वारा अपने हाथों से ग्रहण कर गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की शर्ट की उपर की दाहिनी जेब में रखे एवं आप द्वारा मेरी कार को रोका तो इनके द्वारा अपनी जेब से रूपये निकालकर हेण्ड ब्रेक के पास कप होल्डर में रख दिये। तत्पष्चात श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक के हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से सरकारी वाहन में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर पुलिस थाना परिसर में रखे केम्पर में से पानी की बोतल प्रियंका महिला कानि. से मंगवाया जाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. 121 से कराये जाकर मार्क RH1 व RH2 अंकित किया। चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचिट श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से कराये जाकर मार्क LH1 व LH2 अंकित किया। चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी की कार की आगे हैण्ड ब्रेक के नीचे कप होल्डर जहां पर आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपनी वर्दी की जेब से रिश्वती राशि निकाल कर फैंकी गई है अतः मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर वरिष्ठ सहायक से परिवादी की कार में पडी उक्त रिश्वती राशि को निकलवाई जाकर गिनवाई गई तो अक्षरे पंद्रह हजार 15,000/- रूपये होकर 500-500 के 30 नोट होना पाया गया जिन नोटो के नम्बरों विवरण निम्नानुसार हैं- 1 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9ND361281 2 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4HR653177 3 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी

1NA624934 4 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 7MK954319 5 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9LB432862 6 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6MW621367 7 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4NM089616 8 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8RT571135 9 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2HQ126494 10 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4GM469916 11 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1BG301489 12 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0UD451450 13 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6EC834345 14 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1LP599923 15 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9AW077669 16 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4RW557605 17 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9BH126137 18 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1LC912341 19 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 6KG963734 20 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5RW966082 21 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 0QT449933 22 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5TK907478 23 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 1QE367116 24 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9HL401139 25 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 9GF574175 26 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 3CM667963 27 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 2SE616458 28 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 8UB635934 29 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 4RT589348 30 एक नोट 500 रूपये का नम्बरी 5SR110642 उपरोक्त नोटो के नम्बरों का मिलान मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बरों का मिलान हुबहु हुआ। परिवादी की कार की आगे हैण्ड ब्रेक के नीचे कप होल्डर जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई उक्त स्थल के धोवन का घोल लिया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मांगीलाल कानि. से ट्रेप बॉक्स में से गिली रूई मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि बरामदगी स्थल पर घुमाया गया एवं श्री गुलाबसिंह हैडकानि. से नये डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त हैण्ड ब्रेक के नीचे कप होल्डर पर गीली रूई को उक्त तैयारशुदा घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द कर मार्क C1 व C2 अंकित किया जाकर सीलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रकाशलाल से ग्रहण की गई रिश्वती राशि को अपनी पहनी हुई वर्दी के उपर की दाहिनी जेब में रखा जाने से उक्त वर्दी के शर्ट के दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से थाने के बैरक में रखे आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक का टी-शर्ट एवं लॉवर मंगवाई जाकर पहनने हेतु उपलब्ध करवाई गई व पहनी हुई वर्दी ससम्मान उतराई जाकर ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास श्री मांगीलाल कानि. 121 से निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में वर्दी के शर्ट के उपर की दाहिनी जेब को उल्टा कर डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द कर मार्क S1 व S2 अंकित किया। सीलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी के शर्ट की उपर की दाहिनी जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखवाया जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर मार्क S3 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बरामदशुदा रिष्वती राषि 15,000/- रूपये पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर श्री पुष्करलाल हैडकानि. से सिलचिट करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरों लिये गये। उक्त कार्यवाही की ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग कानि. श्री सुरेश कुमार 424 द्वारा ब्यूरो के सोनी कम्पनी में नया रिक्त सेन डिस्क 64 जीबी मैमोरी कार्ड डलवाया जाकर विडियों रिकार्डिंग करवाई गई। उक्त फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी श्री गजेन्द्र गुर्जर सउनि द्वारा मेरे निर्देशानुसार टंकन कर तैयार की गई। तत्पष्चात समय 11.40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा पुलिस थाना आकोला में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 27/2025 एवं गुमशुदगी संख्या 02/2025 की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु तहरीर क्रमांक एसपीएल-01 दिनांक 25.03.2025 दिया जाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर संलग्न पत्रावली की गई एवं समय 11.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री मांगीलाल कानि 215 ने आज दिनांक 25.03.2025 को समय करीब 8.14 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता एवं समय करीब 8.36 पर परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी, स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक के समक्ष लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर पृथक-पृथक शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री प्रकाशलाल ने एक आवाज अपनी स्वयं की अन्य आवाज आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक ने अपनी होने की ताईद की। उक्त वार्ता में श्री रमेश मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना आंकोला ने उक्त रिकार्ड वार्ता में एक आवाज श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक की होने की ताईद की तथा दूसरी आवाज पहचाने से इन्कार किया फिर समय 01.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित

परिवादी एवं स्वंत्रत गवाहान एवं आरोपी श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक के समक्ष आरोपी श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक की परिवादी प्रकाशलाल गाडरी से दिनांक 24.03.2025 एवं 25.03.2025 को हुई मोबाईल, रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन देन वक्त हुई वार्तायें जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री मांगीलाल से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री रमेश मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में श्री रमेश मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ ने एक आवाज आरोपी श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक की होना बताया। श्री रमेश मीणा ने बताया कि मैं पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित हू इसलिए मैं श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक की आवाज को पहचानता हू तथा दूसरी आवाज की पहचान नहीं की गई। फिर समय 02.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकार्ड वार्ताओं में आरोपी श्री बाबूलाल मीणा सहायक उप निरीक्षक की आवाज की पहचान श्री रमेश मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ द्वारा की गई जिसकी फर्द आवाज पहचान पृथक से मूर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड स्कैनडिस्क कम्पनी का 16GB SDSC कार्ड के सरकारी लेपटॉप से श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से कनेक्ट करा उसमें संरक्षित वार्तायें दिनांक 24.03.2025 को समय 7.23 पीएम एवं 7.46 पीएम एवं दिनांक 25.03.2025 को समय 8.14 पीएम एवं 8.34 पीएम परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी एवं आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन, मोबाईल एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की 03 पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पेनड्राईव पर मूल तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव स्कैनडिस्क 16GB को पेन ड्राईव कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थेली में रखवाकर सफेद कपड़े की थेली पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव SANDISK 16GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये फिर समय 03.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से कनेक्टशुदा को श्री सुरेश कुमार कानि. से ही संरक्षित वार्तायें दिनांक 24.03.2025 को समय 7.23 पीएम एवं 7.46 पीएम एवं दिनांक 25.03.2025 को समय 8.14 पीएम एवं 8.34 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी एवं आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन, मोबाईल एवं रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता संरक्षित है। मेमोरी कार्ड में संरक्षितशुदा सम्पूर्ण वार्ताओं की हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया जो SANSISK कम्पनी का 16GB है, उक्त मूल मेमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया जाकर कपडे की थैली पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क M दिया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत जब्त किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.40 ए.एम. पर आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक की दौराने ट्रेप कार्यवाही में कानि. श्री सुरेश कुमार कानि 424 के द्वारा ब्यूरो के विडियो केमरा जिसमें प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 64GB डलवाया जाकर दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त विडियो केमरा से ऑडियो/विडियोग्राफी करवाई गई। जिसमें बरामदगी रिश्वती राशि एवं सीलचिट आर्टिकल रिकॉर्डिंग की गई थी। उक्त विडियो केमरा में प्रयुक्त मैमेारी कार्ड को विडियो केमरे से निकलवाकर श्री सुरेश कुमार कानि. 424 से लेपटोप से कनेक्ट करा कर SANDISK 16GB दो पेनड्राईव में कोपी करवाये गये एक पेनड्राईव पर डब पेनड्राईव एवं दूसरे पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया। तत्पश्चात् कानि. श्री सुरेश कुमार द्वारा मूल मेमोरी कोर्ड को लेपटोप से निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर थैली पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क M1 दिया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत जब्त किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात समय 04.10 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री बाबूलाल मीणा पिता श्री नारायणलाल मीणा उम्र 46 साल निवासी गांव डांगरवाडा खुर्द पुलिस थाना जयसिंगपुरा जिला जयपुर हाल निवासी मकान नं. 05 बीएसएनएल कोलोनी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ को धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना की जाकर किये गये जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने पर जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल माथुर से लिवाई गई तो पहने हुए कपडो के अलावा अन्य कोई वस्तु/राशि बरामद नहीं हुई न ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। आरोपी के पास एक मोबाईल जो रियल मी कम्पनी मॉडल आरएनएक्स 1921 का हो जिसमे एक सिम जीओ कम्पनी की जिस के नम्बर [redacted] हैं। उक्त मोबाईल को चैक किया गया तो कोई संदिग्ध वार्ताए/विडियों नहीं मिले। मोबाईल आरोपी के कहे अनुसार थानाधिकारी पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ को सुपुर्द किये गये। फर्द गिरफ्तारी

पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फिर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक को पत्र क्रमांक एसपीएल-02 एवं एसपीएल-03 आरोपी के आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु जारी किया गया तो आरोपी ने इसी पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बाद में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। उक्त पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी एवं स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता श्री अशोक कुमार व मांगीलाल कानिगण के टेक्सी वाहन से रवाना घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। मामले हाजा में बाद निरीक्षण घटनास्थल परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी को घटनास्थल से रूखसत दी जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ते के रवानाशुदा ब्यूरो इकाई चित्तौडगढ पहुंचा एवं मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्साधिकारी सांवरा सेठ हॉस्पीटल चित्तौडगढ से करवाया जाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट संलग्न पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता मय टेक्सी वाहन के आरोपी श्री बाबूलाल सहायक उप निरीक्षक को श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्तौडगढ के समक्ष पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेसी रिमाण्ड स्वीकृत फरमाने से आरोपी को केन्द्रीय कारागृह चित्तौडगढ जमा करा जमा रसीद संलग्न पत्रावली की गई। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री बाबूलाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री प्रकाशलाल गाडरी द्वारा थाना आकोला में दर्ज करवाये गये प्रकरण में कार्यवाही करने की एवज में रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 24.03.2025 को 2000/- रूपये प्राप्त करने तथा दिनांक 25.03.2025 को वक्त रिश्वती राशि लेन-देन के 15,000/- रूपये मांग कर अपने हाथो से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई वर्दी की शर्ट की उपरी दाहिनी साईड जेब में रखे एवं ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से आरोपी द्वारा पैसे अपनी जेब से निकालकर कार के हेण्ड ब्रेक के पास के कप होल्डर में रख दिये जो मौके से बरामद होने पर आरोपी श्री बाबूलाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना आकोला जिला चित्तौडगढ के विरूद् जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन करवाये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (नरपत सिंह) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। .....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत सिंह,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण मामलात 1988 (यथा संशोधित-2018) में आरोपी श्री बाबूलाल मीणा पिता श्री नारायणलाल मीणा उम्र 46 साल निवासी गांव डांगरवाडा खुर्द पुलिस थाना जयसिंगपुरा खुर्द जिला जयपुर हाल निवासी मकान नं. 05 बीएसएनएल कोलोनी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना आंकोला जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री लक्षमण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 407 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 440-43 दिनांक 27.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ, 2.पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** LAXMAN LAL DANGI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/03/2025 22:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	21/11/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)